

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेन्द्र गोयल
 दिनांक : 30.07.2021

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 72

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या ये सत्य है कि डीएमसी एकट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगाने और रखरखाव की जिम्मेदारी एमसीडी की है,	
ख	क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी स्ट्रीट लाईट लगाने और उसके रखरखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए एमसीडी डिस्कॉम के माध्यम से विधुत कर (टैक्स) लेता है,	
ग	क्या यह भी सत्य है कि 19 जनवरी 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ये निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव का काम एमसीडी द्वारा किया जाएगा,	संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।
घ	वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाईट किसके माध्यम से वे किस फंड से लगाई जा रही है,	
ङ	क्या यह सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में लगाई गई नई स्ट्रीट लाईटों को एमसीडी चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता, और	
च	पिछले वित वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कॉलोनी में लाईट लगाई गई पूर्ण जानकारी दी जाए ?	

Dy. Secy. (Urban Development)
 Govt. of N.C.T. of Delhi
 Delhi Secretariat

Govt. of N.C.T. of Delhi
 Delhi Secretariat